समावेशी शिक्षा B.Ed 2nd year 9 may 2020 saturday

इकाई - 04 - समावेशी विद्यालय हेतु बुनियादी सुविधाएँ →

समावेशी विद्यालय सामान्य विद्यालय की तरह ही होते हैं। और उनको भी वैसी ही मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जैसी एक सामान्य विद्यालय को, परन्तु इसके साथ ही समावेशी विद्यालयों को विशेष सुविधाएँ एवं उपकरणों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि समावेशी विद्यालयों में सामान्य छात्रों के साथ -2 विशिष्ट छात्र भी अध्ययन करते हैं।

1. विद्यालय भवन।
2. खेल का मैदान।
3. प्रशिक्षित शिक्षक।
4. रेलिंग एवं बाउण्ड्री।
5. फर्नीचर की व्यवस्था।
6. आवश्यक उपकरण
7. पाठ्य-पुस्तकें
8. रैम्प/ लिफ्ट की व्यवस्था।
9. चिकित्सक की व्यवस्था।
10. परिवहन की व्यवस्था।
11. छात्रावास की व्यवस्था।
12. शौचालय /मूत्रालय की उचित व्यवस्था।

पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था।

एक आदर्श समावेशी विद्यालय (Ideal Inclusive school)

आदर्श समावेशी विद्यालय से अभिप्राय एक ऐसे विद्यालय से है, जिसके पास सामान्य एवं विशिष्ट बालकों दोनों के ज्ञानार्जन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हो तथा उन्हें बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाय।

N.C.F 2005 के अनुसार → समावेशन की नीति को प्रत्येक विद्यालय एवं शिक्षा व्यवस्था में लागू किए जाने की आवश्यकता।

यूनीसेफ 2003 → विशिष्ट आवश्यकताओं के बालकों की मुख्यधारा विद्यालयों में शिक्षा संग्रहण के प्रावधान को उचित ठहराते हुए इस बात पर बल दिया है, कि यह स्पष्ट हो चुका है - कि सभी असमर्थी बालकों में से 70 प्रतिशत बालक जिनमें मानसिक दुर्बलता के बालक भी सम्मिलित है, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

यूनेस्को 2008 — दृष्टि सम्बंधी कारक, भौतिक रुकावटें, पाठ्यक्रम भाषा एवं सम्प्रेषण आदि कारकों का पता लगाना व दूर करना।

Scanned with CamScanner

9 may 2020

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य

1 ⇒ छात्रों को नैतिक समर्थन देना।
2 ⇒ सामान्य शिक्षा के साथ समन्वय स्थापित करना।
3 ⇒ विविध मूल्यों को बढ़ावा देना।
4 ⇒ छात्रों के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग।
5 ⇒ समस्त उपकरणों को विद्यालय में उपलब्ध कराना।
6 ⇒ कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन।
7 ⇒ संवेगात्मक, भावनाओं का ध्यान रखना।

आदर्श समावेशी विद्यालय निर्माण हेतु पाठ्यचर्या

1 ⇒ शिक्षण और सीखने के लिए वातावरण।
2 ⇒ शिक्षण और सीखने की तकनीक।
3 ⇒ शिक्षण कार्यक्रम और उसका मूल्यांकन।
4 ⇒ मूल्यांकन प्रक्रिया, व्यवहार सामग्री अधिगम विकलांगता के प्रति संवेदनशीलता को सम्बोधित करना।

नवीन रपबा 2000 के अनुसार —

(1) सामाजिक न्याय।
(2) शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी।
(3) लिंग, जातीयता, क्षमता या विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।

B.R.C. Deoband
ARP Pro – Sapna Tyagi

Scanned with CamScanner